

प्रेस विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री देव रंजन वर्मा (I.P.S.) के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द मिश्र के पर्यवेक्षण में जनपद बलरामपुर में दिनांक 27.09.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण एवं यातायात व्यवस्था हेतु चलाये गये चेंकिंग अभियान में निम्नलिखित कार्यवाहियां की गयीं।

\*वांछित अभियुक्त गिरफ्तार\*

थाना गौरा चौराहा द्वारा दिनांक 27.09.2019 को अभियुक्त मनोज कुमार उर्फ रंगीला पुत्र चिनकन उर्फ गंजी नि0 नौबस्ता थाना गौरा चौराहा जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त थाना स्थानीय पर धारा-363/366ए भादवि0 व 17/18 पॉक्सो एक्ट का वांछित था।

\*सार्वजनिक स्थान पर जुआँ खेलते 08 गिरफ्तार\*

थाना को0देहात द्वारा दिनांक 27.09.2019 को अभियुक्तगण 1-अखिलेश श्रीवास्तव पुत्र राधेश्याम श्रीवास्तव नि0 तुलसीपार्क 2-गुड्डू पुत्र शब्दर अली नि0 पुरैनिया तालाब 3-फिरोज पुत्र रज्जब अली नि0 सिविल लाइन 4-सलीम पुत्र असगर नि0 विशुनपुर थाना तुलसीपुर 5-श्याम मनोहर पुत्र सुर्य प्रकाश शुक्ला नि0 मेवालाल तालाब थाना को0नगर 6-मुन्ना उर्फ मो0 अली पुत्र आबिद अली नि0 पुरैनिया तालाब 7-अनिल कुमार वर्मा पुत्र रमा प्रसाद नि0 छोटा धुसाह थाना को0देहात 8-ब्रिजेश पुत्र शोभाराम नि0 छोटा धुसाह थाना को0देहात जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर धारा-13 जुआँ अधिनियम की कार्यवाही की गयी।

\*शांति भंग (151CrPC) की आशंका में (03) गिरफ्तार\*

1-थाना को0नगर द्वारा दिनांक 27.09.2019 शांतिभंग की आशंका में अभियुक्त नुरुद्दीन पुत्र नईम गदुरहवा थाना को0नगर जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

2-थाना को0उतरौला द्वारा शांतिभंग की आशंका में अभियुक्तगण 1-नबीउल्लाह 2-ऐनुलजा पुत्र रहमतुल्ला नि0गण चनदापुर थाना को0उतरौला जनपद बलरामपुर को धारा 151 CrPC के अन्तर्गत गिरफ्तार कर उनका चालान अन्तर्गत धारा 151/107/116 CrPC किया गया।

\*पैदल गस्त अभियान में की गयी कार्यवाही:-\*

अपर पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशन में चलाये जा रहे चेंकिंग अभियान में दिनांक 27.09.2019 को 139 स्थानों पर गस्त की गयी, 221 स्थानों पर चेंकिंग की गयी जिसमें चेंकिंग के दौरान 249 संदिग्ध व्यक्तियों की चेंकिंग की गयी, 12 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, 15 मनचले लड़के व शोहदों के अभिभावक को को बुलाकर चेतावनी दी गयी एवं अभियान के दौरान 40 अवैध अतिक्रमणों को हटवाया गया तथा उपरोक्त कार्यवाहियां की गयी